रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2009/अग्रहायण 19, 1931

No. 701] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2009/AGRAHAYANA 19, 1931

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 883(अ).—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा खनिज रियायत नियमावली, 1960 को और आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :-

1. (1) इन नियमों को खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2009 कहा जाएगा।
   (2) ये इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज रियायत नियमावली, 1960 में (इसके पश्चात इसे "मूल नियम" कहा जाएगा) नियम 64 घ के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: –

"64 घ. मूल्यानुसार आधार पर खनिजों पर रायल्टी के भुगतान का ढंग :–

(1) जहां ऐसी रायल्टी मूल्यानुसार आधार पर प्रभारित की जाती है वहां प्रत्येक खान मालिक, उसका एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार अथवा उप–पट्टाधारी निम्नानुसार खनिजों पर रायल्टी की राशि परिकलित करेगा :–

(i) खान मालिकों द्वारा (एल्युमिना और धातुकर्मीय उद्योगों में प्रयोग के लिए प्रेषित बाक्साइट और लेटराइट, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, निकिल, स्वर्ण, चांदी और परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट खनिजों को छोड़कर) घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले अथवा गृहीत संयंत्रों में खपत अथवा निर्यात किए जाने वाले सभी गैर–परमाणु और गैर–ईंधन खनिजों के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथा प्रकाशित विभिन्न खनिजों के लिए राज्य–वार बिक्री मूल्य उस राज्य में किसी खान में मास के दौरान किसी समय उत्पादित किसी खनिज के संबंध में रायल्टी के परिकलन के लिए बिक्री मूल्य होगा और रायल्टी का परिकलन नीचे दिए गए फार्मूले के अनुसार किया जाएगा :–

रायल्टी = आई बी एम द्वारा प्रकाशित खनिज का बिक्री मूल्य (ग्रेड–वार और राज्यवार) X रायल्टी की दर (प्रतिशत में) X उत्पादित /प्रेषित खनिज ग्रेड की कुल मात्रा :

बशर्ते कि यदि भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किसी विशिष्ट खनिज के लिए किसी राज्य के लिए किसी विशेष माह की सूचना प्रकाशित नहीं की जाती है तो उस राज्य में उस खनिज के लिए उपलब्ध अद्यतन सूचना का उपयोग किया जाएगा जिसके अभाव में उस खनिज के लिए अखिल भारतीय अद्यतन सूचना उपयोग किया जाएगा।

(ii) गृहीत खपत के लिए उत्पादित खनिजों के ग्रेडों (एल्युमिना और धातुकर्मीय उद्योगों में प्रयोग के लिए प्रेषित बॉक्साइट और लेटराइट, तांबा, सीसा,जस्ता, टिन, निकिल, स्वर्ण और चांदी को छोड़कर) और जिन्हें घरेलू बाजार में बेचे जाने अथवा निर्यात के लिए प्रेषित नहीं किया गया है,के लिए रॉयल्टी के परिकलन हेतु भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विक्रय मूल्य का बेंचमार्क मूल्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

(iii) प्राथमिक स्वर्ण, चांदी,तांबा,निकिल, टिन, सीसा और जस्ता के लिए उस अवधि जिसके लिए खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 के तहत वैधानिक मासिक रिटर्न में रायल्टी परिकलित और सूचित की गई है अथवा खान मालिकों की पुस्तकों में दर्ज की गई है, के दौरान उत्पादित अयस्क या सांद्र में कुल धातु अंश पर रायल्टी की गणना के उद्देश्यों हेतु सर्वप्रथम विचार किया जाएगा और तत्पश्चात रॉयल्टी के परिकलन की अवधि के दौरान भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित प्राथमिक स्वर्ण,चांदी,तांबा,निकिल,टिन,सीसा और जस्ता की औसत धातु कीमत के प्रतिशत के रूप में रॉयल्टी का परिकलन किया जाएगा :-

रायल्टी = विक्रय मूल्य X प्रतिशत में रायल्टी की दर

जहां विक्रय मूल्य = माह के दौरान भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथा प्रकाशित धातु का औसत मूल्य X उत्पादित अयस्क अथवा सांद्र में कुल धातु अंश X रायल्टी की गणना के महीने की अंतिम तारीख को रूपए अथवा डॉलर की विक्रय विनिमय दर :

बशर्ते कि उपोत्पाद स्वर्ण और चांदी के मामले में रायल्टी उत्पादित धातु की कुल मात्रा पर आधारित होगी और ऐसी रायल्टी की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

रायल्टी = विक्रय मूल्य X प्रतिशत में रायल्टी की दर

स्पष्टीकरण –इस उप–धारा के उद्देश्य से विक्रय मूल्य का अर्थ है माह के दौरान भारतीय खान ब्यूरो द्वारा यथा प्रकाशित धातु की औसत कीमत X वास्तविक रूप से उत्पादित कुल उपोत्पाद धातु X रायल्टी की गणना के महीने की अंतिम तारीख को रूपए अथवा डॉलर की विक्रय विनिमय दर।

(iv) एल्युमिना और एल्युमीनियम धातु निष्कर्षण में उपयेाग के लिए प्रेषित अथवा भारत में एल्युमिना या एल्युमीनियमा धातु निष्कर्षण उद्योग को प्रेषित बॉक्साइट अथवा लेटेराइट अयस्क के लिए उस अवधि,जिसके लिए खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 के तहत् वैधानिक मासिक रिटर्न में रॉयल्टी परिकलित और सूचित की गई है अथवा खान मालिकों की पुस्तकों में दर्ज की गई है, के दौरान शुष्क आधार पर उत्पादित बॉक्साइट अथवा लेटेराइट अयस्क में शामिल एल्युमिना की कुल मात्रा पर रॉयल्टी के परिकलन के उद्देश्य से सर्वप्रथम विचार किया जाएगा और तत्पश्चात् अयस्क के उक्त एल्युमिना अंश में शामिल एल्युमीनियम धातु के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औसत मासिक मूल्य के प्रतिशत के रूप में रॉयल्टी का परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा,नामत: –

रायल्टी =

52.9 100	X	शुष्क आधार पर बॉक्साइट में एएल2 ओ3 की प्रतिशतता	X	आई बी एम द्वारा यथा प्रकाशित एल्युमिनियम का औसत मासिक	X	रायल्टी की परिकलन की अवधि की अंतिम तारीख के अनुसार	X	रायल्टी की दर (प्रतिशतता में)

(जैसा कि एम सी डी आर के तहत वैधानिक मासिक रिटर्न में सूचित किया गया है)	मूल्य	रूपया/डालर की विनिमय दर (बिक्री)

बशर्ते कि एल्युमिना और एल्युमीनियम धातु निष्कर्षण और निर्यात को छोड़कर अन्य अन्त्य उपयोग के लिए प्रेषित बॉक्साइट अथवा लेटेराइट के लिए रॉयल्टी के परिकलन हेतु इस धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(2) धात्विक अयस्कों के मामले में,अयस्क में शामिल धातु और बेंचमार्क कीमतों पर आधारित धातु कीमतों के आधार पर रॉयल्टी शुष्क आधार पर प्रभारित की जाएगी और खान मालिक खान स्थल पर नमूनों को संग्रहित करने और शुष्क आधार पर इनका विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त सुविधाए स्थापित करेंगे। "

[फा. स. 16/90/2009-खान-VI]

अजिता बाजपेयी पाण्डे, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम दिनांक 26 नवम्बर, 1960 की सं. सा.का.नि. 1398 [दिनांक 11 नवम्बर, 1960 की अधिसूचना सं. एम-II-159(1)/57] के द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2009

G.S.R. 883(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :-

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2009.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter referred to as the "Principle rules") for rule 64D, the following rule shall be substituted, namely:-

"64 D. Manner of payment of royalty on minerals on ad valorem basis: -

(1) Every mine owner, his agent, manager, employee, contractor or sub-lessee shall compute the amount of royalty on minerals where such royalty is charged on ad valorem basis, as follows:-

(i) for all non-atomic and non fuel minerals sold in the domestic market or consumed in captive plants or exported by the mine owners (other than bauxite and laterite despatched for use in alumina and metallurgical industries, copper, lead, zinc, tin, nickel, gold, silver and minerals specified under Atomic Energy Act), the State-wise sale prices for different minerals as published by Indian Bureau of Mines shall be the sale price for computation of royalty in respect of any mineral produced any time during a month in any mine in that State, and the royalty shall be computed as per the formula given below:

Royalty = Sale price of mineral (grade wise and State-wise) published by IBM X Rate of royalty (in percentage) X Total quantity of mineral grade produced / dispatched :

Provided that if for a particular mineral, the information for a State for a particular month is not published by the Indian Bureau of Mines, the latest information available for that mineral in the State shall be referred, failing which the latest information for All India for the mineral shall be referred.

(ii) for the grades of minerals produced for captive consumption (other than bauxite and laterite despatched for use in alumina and metallurgical industries, copper, lead, zinc, tin, nickel, gold and silver) and those not despatched for salė in domestic market or export, the sale price published by the Indian Bureau of Mines shall be used as the bench mark price for computation of royalty.

(iii) for primary gold, silver, copper, nickel, tin, lead and zinc, the total contained metal in the ore or concentrate produced during the period for which the royalty is computed and reported in the statutory monthly returns under Mineral Conservation and Development Rules, 1988 or recorded in the books of the mine owners shall be considered for the purposes of computing the royalty in the first place and then the royalty shall be computed as the percentage of the average metal prices published by the Indian Bureau of Mines for primary gold, silver, copper, nickel, tin, lead and zinc during the period of computation of royalty as follows:

Royalty = sale price X rate of royalty in percentage

Where sale price = Average price of metal as published by Indian Bureau of Mines during the month X Total contained metal in ore or concentrate produced X Rupee or Dollar exchange rate selling as on the last date of the month of computation of royalty :

Provided that in case of by-product gold and silver the royalty shall be based on the total quantity of metal produced and such royalty shall be calculated as follows:

Royalty = Sale price X rate of royalty in percentage

Explanation – For the purpose of this sub-clause sale price means, average price of metal as published by Indian Bureau of Mines during the month X Total by-product metal actually produced X Rupee or Dollar Exchange rate selling as on the last date of the month of computation of royalty

(iv) for bauxite or laterite ore despatched for use in alumina and aluminium metal extraction or despatched to alumina or aluminium metal extraction industry within India, the total contained alumina in the bauxite or laterite ore on dry basis produced during the period for which the royalty is computed and reported in the statutory monthly returns under Mineral Conservation and Development Rules, 1988 or recorded in the books of the mine owners shall be considered for the purpose of computing the royalty in the first place and then the royalty shall be computed as the percentage of the average monthly price for the contained aluminium metal in the said alumina content of the ore published by the Indian Bureau of Mines, on the following basis namely:-

Royalty=

$\frac{52.9}{100}$	*X percentage of Al_2O_3 in the bauxite on dry basis (as reported in the Statutory Monthly return under MCDR)*	*X Average monthly price of aluminium as published by the IBM*	*X Rupee / dollar exchange rate (selling) as on the last date of the period of the computation of royalty*	*X Rate of royalty (in percentage)*

Provided that for computing the royalty for bauxite or laterite despatched for end use other than alumina and aluminium metal extraction and for exports provisions of this clause shall not apply.

(2) In case of metallic ores based on metal contained in ore and metal prices based on benchmark prices, the royalty shall be charged on dry basis, and the mine owner shall establish suitable facilities for collection of sample and its analysis on dry basis at the mine site."

[F. No. 16/90/2009-M-VI]

AJITA BAJPAI PANDE, Jt. Secy.

Note :—The Principal Rules were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 1398, dated 26th November, 1960 [Notification No. M-II-159(1)/57, dated 11th November, 1960].

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.